यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड–ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून **द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।**

कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड–ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून **के माह** 07/2016 से 06/2017 तक **के लेखा-अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन** जो श्री रामवीर सिंह, स.ले.प.अ. एवं श्री गौरव पंत, लेखापरीक्षक द्वारा **दिनांक** 01-08-2017 **से** 14-08-2017 **तक** श्री ए.सी. कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में **सम्पादित की गयी।**

भाग- I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चंद, पर्यवेक्षक, श्रीमती हीना सलीम वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 23.07.2016 से 03.08.2016 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2014 से 06/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2016 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i). इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः ग्रामीण निर्माण विभाग का कार्य यह की विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य डिपाजिट कार्य के रूप में सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण देहरादून।

ii). (अ). वगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वत्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना
2014-15	-	1024.17	314.02	301.54	1758.34	2040.10	12.48	742.41
2015-16	-	742.41	315.00	295.37	2576.77	2509.84	19.62	809.34
2016-17	-	809.34	368.90	335.67	2992.76	2853.09	33.23	949.01-

(ब). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
.....शून्य					

iv). गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत, राज्य सरकार है। इकाई की श्रेणी **''अ''** है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।

तकनीकी संवर्ग में :

(2) मुख्य अभियंता स्तर –1 (विभागाध्यक्ष) (3) मुख्य अभियंता स्तर–2,

(4) अधीक्षण अभियंता (5) अधिशासी अभियंता (6) सहायक अभियंता (7) कनिष्क अभियंता।

गैर तकनीकी संवर्ग में :

(1) वित नियंत्रक, (2) खंडीय लेखाकार (3) सहायक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6) प्रधान सहायक (7) वरिष्ठ सहायक (8) कनिष्ठ सहायक

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा वधः लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड–ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड–ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि मे दिनांक 19.06.17 से 21. 06.17 का निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबंदी तथा यंत्र संयत्र लेखों की वार्षिक लेखाबंदी क्रमशः माह 03/2017 तक की गयी।

5. फार्म 51 : माह 06/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् है : (धनराशि रू0 में)

भाग प्रथम – (–) 17117466

भाग द्वितीय – 2397499

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष महा 06/17 के अंत में (धनराशि रू0 में)

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम – 144249

(ख) सामग्री क्रय – शून्य

(ग) नगद परिशोधन – शून्य

(घ) निक्षेप – 103832493

(ड.) भण्डार – शून्य

भाग–दो 'अ'

प्रस्तर 1 : अशासकीय ग्राहक विभागों द्वारा निक्षेप के अंतर्गत निष्पादित कराये गये, निर्माण कार्यों पर प्रतिशत प्रभार भारित न किए जाने के परिणामस्वरूप रू0 77.49 लाख की विभागीय हानि।

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–VI के प्रस्तर 15, 633, 635, 636 एवं अपेंडिक्स–V के बिन्दु संख्या–5 के अनुसार जब किसी स्थानीय निकाय, लोक निकायों एवं अशासकीय विभागों द्वारा निक्षेप निर्माण कार्य निष्पादित कराये जाते हैं तो खंडीय प्राधिकारी द्वारा उक्त निर्माण कार्यों के प्राक्कलनों में कार्य की लागत के साथ–साथ वसूलनीय प्रतिशत प्रभारों (Centage Charges) को सम्मिलित करते हुए एकमुश्त अथवा किश्तों में अग्रिम के रूप में निक्षेप राशियां प्राप्त करनी होती है तथा प्राप्त निक्षेप राशियों के लेखे तथा समायोजन मासिक रूप से कार्यों पर व्यय तथा प्रतिशत प्रभारों के रूप में पृथक–पृथक रूप से निक्षेप की सीमा में रखा जाना चाहिए। प्रतिशत प्रभारों के भारित किए जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या 163/XXVII/(7)/2008 दिनांक 22.05.2008 के द्वारा प्रतिशत प्रभारों की दर निम्नानुसार निर्धारित की गयी है:

- एक करोड़ की लागत तक के कार्यों हेतु – 10 प्रतिशत
- एक करोड़ से अधिक परन्तु पांच करोड की लागत तक – 09 प्रतिशत
- पांच करोड़ से अधिक लागत के कार्यों हेतु – 08 प्रतिशत

जबकि अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, देहरादून के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 की अवधि में प्रखण्ड स्तर पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून एवं उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम जैसे अशासकीय विभागों/प्राधिकरण एवं निगम/लोक निकायों के निक्षेप के अंतर्गत 211 निर्माण कार्यों के निष्पादन पर रू0 774.92 लाख की धनराशि व्ययित की गयी। इस प्रकार वित्तीय प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्यों के लागत रू0 1.00 करोड़ से कम होने के कारण निर्माण लागत का 10 प्रतिशत प्रभार अर्थात रू0 77.49 लाख प्रतिशत प्रभार के रूप में भारित करते हुए सम्बन्धित प्राधिकरण एवं निगम से वसूल किए जाने थे परन्तु खंडीय स्तर पर न तो सम्बन्धित निर्माण कार्यों के आगणन में प्रतिशत प्रभार (Centage Charges) का प्रावधान ही किया गया था एवं न ही सम्बन्धित निर्माण कार्यों के सापेक्ष रू0 77.49 लाख की धनराशि प्रतिशत प्रभारों के रूप में वसूली ही की गयी।

उक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्राधिकरण/निगम/निकाय के पूर्व में निष्पादित कराये गये कार्यों के प्राक्कलन में सेटेंज

प्रभार का प्रावधान नहीं किए जाने के कारण सम्बन्धित प्राधिकरण/निगम/निकाय से सेटेंज प्रभार वसूल नहीं किया जा सका किन्तु भविष्य में ऐसे निकाय/प्राधिकरणों के निक्षेप निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्राक्कलन तैयार करते समय निर्धारित प्रतिशत प्रभारों का प्रावधान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि इकाई स्तर की त्रुटि के परिणामस्वरूप ही विभाग को उक्त प्राधिकरण एवं निगम से वित्तीय प्रावधानों के अनुसार प्रतिशत प्रभार के रूप में प्राप्त होने वाली रू0 77.49 लाख की धनराशि से वंचित रहना पड़ा।

अतः अशासकीय ग्राहक विभागों द्वारा निक्षेप के अंतर्गत निष्पादित कराये गए निर्माण कार्यों पर प्रतिशत प्रभार भारित न किए जाने के परिणामस्वरूप रू0 77.49 लाख की विभागीय हानि से सम्बन्धित प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : रू0 38.50 लाख के निर्माण कार्य या तो तकनीकी स्वीकृति प्राप्त मदों से कम अथवा बिल्कुल ही निष्पादित नहीं कराये जाने के परिणामस्वरूप अधोमानक निर्माण कार्य पर रू0 153.00 लाख की धनराशि का व्यय।

शासनादेश संख्या 205/RR&DD/XXII-2/2016/02 (04)/2015/दिनांक 22.12.2016 के द्वारा त्यूनी मोरी पुरोला मार्ग के हनोल से ब्यूलाड मोटर 4.00 कि.मी. मोटर मार्ग (स्टेज प्रथम एवं स्टेज द्वितीय) के कार्यों हेतु रू0 376.37 लाख धनराशि प्रदान की गयी थी। उक्त के सापेक्ष जनवरी 2016 में मुख्य अभियंता स्तर से स्टेज प्रथम हेतु गठित प्राक्कलन पर 295.09 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त निर्माण कार्य आठ अनुबंधों के तहत निष्पादित कराया जा रहा था एवं संप्रेक्षा तिथि (अगस्त 2017) तक उक्त निर्माण कार्य पर रू0 153.00 लाख का व्यय किया जा चुका था।

संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि खंडीय स्तर पर स्वीकृति प्राक्कलन की मदों जिन पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त थी, से उक्त निर्माण कार्य में रू0 32.31 लाख की लागत की मदें या तो तकनीकी स्वीकृति प्राप्त मदों से कम अथवा नहीं निष्पादित कराई जा रही थी। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि उक्त प्राक्कलन में डम्पिंग प्लेस के विकास हेतु रू0 6.19 लाख का प्रावधान था परन्तु उक्त कार्य भी खंडीय स्तर पर जो अनुबंध गठित किए गए थे, उनके माध्यम से निष्पादित नहीं कराया जा रहा था। इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य के अंतर्गत तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन में प्रावधान होने के पश्चात भी रू0 38.50 लाख के निर्माण कार्य (Annexure 'A') या तो तकनीकी स्वीकृति प्राप्त मदों से कम अथवा बिल्कुल ही निष्पादति नहीं कराये जा रहे थे।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियनता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा प्राक्कलन में वर्णित मदों की मात्रा सही इंगित की गयी है किन्तु कुछ मदों की मात्रा अनुबंध गठित करते हुए समय कम कर दी गयी ताकि निर्माण कार्य पूर्ण हेाने के पश्चात् द्वितीय चरण के कार्यों से पूर्व दो बरसाती सीजन के दौरान सुरक्षा दीवार एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्यों के क्षतिग्रस्त होने पर बची हुई धनराशि से कार्य संपादित कराये जा सके।

इकाई का उत्तर, कि प्रखण्ड स्तर पर वर्णित मदों का प्रावधानित मात्रा से कम निष्पादन इस कारण कराया जा रहा था कि दो बरसाती सीजन के दौरान सुरक्षा दीवार एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्यो के क्षतिग्रस्त होने पर पर बची हुई धनराशि से क्षतिग्रस्त कार्य संपादित

कराये जाएगें, कहीं से भी तर्कपूर्ण नहीं है क्योंकि कोई भी निर्माण कार्य प्रावधानित मात्रा से कम अथवा बिल्कुल नहीं। इस आधार पर निष्पादित नहीं कराया जा सकता कि भविष्य में उसके क्षतिग्रस्त होने पर कम अथवा बिल्कुल नहीं निष्पादित कराये गये कार्यों की बची हुई धनराशि से मरम्मत कराई जाएगी। अतः प्रखण्ड स्तर पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन में प्रावधान होने के पश्चात भी रू0 38.50 लाख के निर्माण कार्य या तो तकनीकी स्वीकृति प्राप्त मदों से कम कम अथवा बिल्कुल ही निष्पादित नहीं कराये जाने के परिणामस्वरूपा अधोमानक निर्माण कार्य पर रू0 153.00 लाख की धनराशि व्यय किए जाने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 : रू0 7.75 लाख धनराशि राजस्व के रूप में जमा नहीं किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 के नियम 622 के अनुसार तीन पूर्ण वर्षों तक अदावाकृत ठेकेदारों की जमानत राशि को ठेकेदारों द्वारा मांग नहीं किए जाने पर व्यपगत जमा के रूप में राज्य सरकार को राजस्व के रूप में जमा की जानी चाहिए थी परन्तु लेखापरीक्षा में पाया गया कि संलग्न विवरण के अनुसार क्रम संख्या : 1 से 94 तक रू0 7.75 लाख धनराशि डिपॉजिट रजिस्टर में वर्ष 2007–08 से 2013–14 तक की अवधि में अदावाकृत राशि के रूप में तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित पड़ी थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय ने स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि वित्तीय प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

अतः रू0 7.75 लाख धनराशि राजस्व के रूप में जमा नहीं करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1 : रू 55.65 लाख उपलब्ध राशि से अधिक व्यय किया जाना।

खण्ड की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित धनराशियां कार्यों के सापेक्ष ऋणात्मक दर्शायी गयी है अर्थात् उपलब्ध धनराशि से अधिक व्यय किया गया है। जबकि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 6 के नियम 580 के अनुसार जब तक धनराशि उपलब्ध न हो तो व्यय नहीं किया जाना चाहिए यदि अधिक व्यय हो जाये तो विभाग के विरूद्ध विविध अग्रिम डालकर वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए। परन्तु निम्न धनराशियों की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	विकास खंड का नाम	कुल प्राप्त धनराशि	कुल व्यय धनराशि	अधिक व्यय रू0 लाख में
1	त्यूनी–मोरी–पुरोला रा. राजमार्ग के कि.मी. 15 में स्थित हनोल से व्यूलाड तक मोटर मार्ग।	चकराता	131.77	160.62	28.85
2	ग्राम भुड्डी में आंतरिक सड़कों का निर्माण।	सहसपुर	25.00	41.94	16.94
3	ग्राम बाड़वाल में एन.एच. 507 से 8 नं. अनु.जाति. बस्ती तक ग्रामीण सड़क का निर्माण	विकासनगर	25.00	34.86	9.86
				योग	**55.65**

उपरोक्त धनराशि डिपाजिट मद में उपलब्ध राशि से अधिक व्यय रू0 55.65 लाख की वसूली के लिए की गयी कार्यवाही के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया कि सम्बन्धित मार्गों पर धनराशि उपलब्ध होने पर समायोजित कर लिया जाए एवं कार्यों की प्रगति के अनुसार जिन कार्यों में राशि उपलब्ध नहीं है दूसरे कार्यों की धनराशि से व्यय कर लिया जाए इस तरह के निर्देश उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये थे।

लेखापरीक्षा को उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमों के अनुसार डिपाजिट कार्यों से उपलब्ध राशि से अधिक व्यय किया जाना नियमों के विरूद्ध है।

अत: 55.65 लाख धनराशि उपलब्ध राशि से अधिक व्यय करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2 : ठेकेदार को लाभ पहुंचने के उद्देश्य से रू0 15.86 लाख की धनराशि विलंब हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में रोकी एवं जब्त नहीं किया जाना।

ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून द्वारा प्रखण्ड स्तर पर युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग हेतु ननूरखेड़ा रायपुर में युवा केन्द्र भवन के निर्माण हेतु वर्ष 2015–16 में रू0 184.81 लाख के प्राक्कलन बनाया गया था जिस पर अधीक्षण अभियंता, देहरादून परिमण्डल द्वारा उक्त धनराशि हेतु तकनीकी स्वीकृति (2015–16) प्रदान की गयी थी तथा सम्बन्धित विभाग द्वारा फरवरी 2015 तक रू 184.81 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गयी थी। उक्त निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए न्यूनतम निविदादाता (विभागीय दरों से 9.67 प्रतिशत कम दर पर) ठेकेदार के पक्ष में अधीक्षण अभियंता स्तर का अनुबंध रू0 158.53 लाख गठित (जून 2015) किया गया। उक्त अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य के प्रारम्भ एवं पर्ण किये जाने हेतु निर्धारित तिथियां क्रमशः 12.06.15 एवं 11.06.16 थी।

सम्प्रेक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनुबंध में संलग्न जी. पी. डब्लू. 9 (संशोधित) के उपबंध–4 के बिन्दु संख्या एक से पांच के अनुसार यदि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य का 1/8 भाग अनुबंधित समय के 1/4 भाग में, निर्माण कार्य कस 3/4 भाग अनुबंधित समय के 3/4 भाग में तथा अनुबंधित समय में पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो प्रत्येक स्टेज पर कुल अनुबंधित राशि की क्रमशः 2.5 प्रतिशत, 3.5 प्रतिशत एवं 4 प्रतिशत (कुल 10 प्रतिशत) धनराशि उसको भुगतान की जाने वाली धनराशि से रोकी जाएगी। जबकि लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उक्त निर्माण कार्य अनुबंधित अवधि से एक वर्ष से भी अधिक अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी पूर्ण न किए जाने के उपरांत भी प्रखण्ड स्तर पर उक्त ठेकेदार की कोई धनराशि रोकी नहीं गयी। जबकि नियमानुसार सम्बन्धित ठेकेदार को भुगतान की गयी रू0 158.64 लाख के सापेक्ष रू0 15.86 लाख की धनराशि रोकी एवं जब्त की जानी चाहिए थी परन्तु प्रखण्ड स्तर पर ऐसा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अनुबंध में संलग्न जी.पी.डब्लू. 9 (संशोधित) के उपबंध–7 के अनुसार किसी भी अवरोध के उत्पन्न होने के 30 दिन के अंदर वांछित समय वृद्धि से सम्बन्धित समय वृद्धि प्रार्थना पत्र सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा विभाग को प्रस्तुत किया जाना था, सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उक्त का अनुपालन भी नहीं किया गया था।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि जी.पी. डब्लू. 9 के अनुसार निर्धारित माई स्टोन के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण न किये

जाने के फलस्वरूप प्रत्येक स्तर पर ठेकेदार को देय भुगतान से कुल (10 प्रतिशत) धनराशि की कटौती की जानी चाहिए थी, जिसको अनुबंध का अंतिमीकरण करते समय नियमानुसार अर्थदण्ड लगाकर समायोजित किया जाएगा परन्तु इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यूंकि इकाई स्तर से अनुबंध में शामिल जी.पी. डब्लू. 9 के अनुसार निर्धारित प्रत्येक माइल स्टोनल के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण न किए जाने एवं अनुबंधित समय के समाप्त होने के एक वर्ष से भी अधिक समय ब्यतीत होने तथा समयवृद्धि प्रार्थना पत्र विभाग को प्रस्तुत न किए जाने के उपरांत भी अप्रत्यक्ष रूप से ठेकेदार को लाभ पहुंचने के उद्देश्य से रू0 15.86 लाख की धनराशि विलंब हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में रोकी एवंज ब्त नहीं की गयी।

अतः विभागीय स्तर पर अप्रत्यक्ष रूप से ठेकेदार को लाभ पहुंचने के उद्देश्य से रू0 15.86 लाख की धनराशि विलंब हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में रोकी एवं जब्त नहीं किए जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 3 : डिपॉजिट निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अवशेष धनराशि रू0 51.36 लाख खंड स्तर पर अवरूद्ध रखने के संबंध में।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 के नियम 634 के अनुसार डिपाजिट निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात अवशेष धनराशि ग्राहक विभाग को वापस कर देनी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित पूर्ण निर्माण कार्यों की अवशेष धनराशि खंड स्तर पर अवरूद्ध पड़ी है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अवमुक्त धनराशि रू0 लाख में	व्यय धनराशि रू0 लाख में	कार्य पूर्ण का माह/वर्ष	अवशेष राशि रू0 लाख में	अवशेष राशि रू0 लाख में (इकाई के उत्तर के अनुसार)
1	छिद्दरवाला मुख्य राजमार्ग से साहबनगर व चकजोगीवाला हेतु ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण (वि. खंड डोईवाला)	90.00	60.38	7/2016	29.62	29.62
2	बलबीर रोड पर सामुदायिक भवन का अवशेष कार्य का निर्माण एवं सुलभ शौचालय का पुनर्निमाण कार्य (नगर निगम)	25.81	15.52		10.29	9.33
3	टिंगरी पागरा में मुकेशराम आदि के घर की ओर जाने वाले रास्ते की सुरक्षा दीवार का निर्माण	12.44	6.21	5/2016	6.23	5.78
4	जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय हेतु कार्यालय भवन का निर्माण	62.98	54.66	1/2017	8.32	6.83
					योग रू0 लाख	**51.56**

उपरोक्त रू0 51.56 लाख धनराशि कार्य पूर्ण होने के पश्चात् खण्ड स्तर पर अवरूद्ध पड़ी है। जबकि कार्य पूर्ण होने के पश्चात् निर्माण कार्य यथाशीघ्र ग्राहक विभाग को हस्तगत करके एवं कार्य से सम्बन्धित लेखे बंद करके अवशेष धनराशि ग्राहक विभाग को वापस कर देनी चाहिए परन्तुं इस धनराशि को खंड स्तर पर अवरूद्ध रखा गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि यथाशीघ्र अवशेष धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस कर दी जाएगी।

अतः रू0 51.56 लाख धनराशि अवरूद्ध रखने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
41/2007-08	शून्य	01
59/2010-11	01	01
73/2011-12	01	01
89/2014-15	शून्य	02
43/2016-17	01	01
योग	**03**	**06**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
आख्या बाद में प्रेषित की जायेगी				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन कया जाय)

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड–ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः-

अप्रस्तुत अ भलेखः शून्य

2). सतत् अनिय मतताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया :

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	ई. ललित मोहन	अधिशासी अभियंता
2.	ई. अनुपम भटनागर	अधिशासी अभियंता
3.	श्री अतर सिंह चौहान	
4.	श्री श्याम सिंह चौहान	

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड–ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रे षत कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ देहरादून–248195 को प्रे षत कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी,
सामाजिक क्षेत्र